राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – कमीश्नर, आर ए एस

मुकदमा संख्या– 140/23 प्रा॰पत्र

1– श्री [illegible] s/o श्री [illegible] जाट निवासी कुवाल्या तहसील माण्डल [भील॰]

– प्रार्थी

बनाम

1– श्री लादू s/o श्री हजारी जाट निवासी कुंवाल्या तहसील माण्डल [भील॰]
(प्रतिनिधि ग्राम पंचायत)
विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111– 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक – 21 5 24

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा भू रा अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ......कुवाल्या...... पटवार हल्का ......कुवाल्या...... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 1701,1704,2021,2110,2631 कुल किता ......05...... रकबा 1.5302 ...... हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिनर सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / सयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक ......18.7.23...... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुवाल्या .... पटवार हल्का ......कुवाल्या...... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 1701,1704,2021,2110,2631 कुल किता ......05...... रकबा ......1.5302...... हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक ......माण्डल...... को ......700...... रूपये /– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मै मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिर्पोट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्डअधिकारी